**संख्या-38/2023/पी-348/002-38-9002 002 1 2023**

प्रेषक,

**राजीव कुमार वत्स,**

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,

लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 13 सितंबर, 2023**

**विषय**:-वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुरक्षण मद हेतु प्रावधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 7633.93 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5274/एफ-31(11)/यूपीआरआरडीए/2023-24 दिनांक-04.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 1526.86 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 7633.93 लाख (रूपये छिहत्तर करोड़ तेंतीस लाख तिरानबे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) निर्मित सम्पर्क मार्ग का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) शासनादेश संख्या-12/2023/पी-122/001-38-9002 002 1 2023, दिनांक-24.04.2023 द्वारा 29, अनुरक्षण मद में रू0 7633.93 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना मुख्य

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। रू0 7633.93 लाख धनराशि के 75 प्रतिशत उपभोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण द्वारा 15 दिन में उपलब्ध कराया जायेगा।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 76,33,93,000 (रुपये छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तिरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 3054041050301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**राजीव कुमार वत्स**
संयुक्त सचिव।

**संख्या-38/2023/पी-348(1)/002-38-9002 002 1 2023, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री राजेन्द्र राम (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**राजीव कुमार वत्स**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।